भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1214

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

बाड़मेर में उद्योगों को प्रोत्साहन और कर संबंधी रियायतें

1214. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों, विशेषकर आगामी तेलशोधक और पेट्रोरसायन परिसर के लिए कोई विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/कर संबंधी रियायतें देने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या राजस्थान और देश के अन्य औद्योगिक केन्द्रों को भी इसी प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा कोई विशेष वित्तीय प्रोत्साहन/कर संबंधी रियायतें प्रस्तावित नहीं हैं।

(ग): आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी तेलशोधक अथवा पेट्रोरसायन परिसर के लिए कोई राज्य विशेष प्रोत्साहन नहीं है। हालांकि, कच्चे तेल के संबंध में विदेशी कंपनी के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत कुछ सीमित छूट उपलब्ध हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है :

(i) धारा 10(48)
(ii) धारा 10(48ए)
(iii) धारा 10(48बी)

*****